

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937

No. 78]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/ PAUSA 21, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

सं. 03 /2016-सीमा-शुल्क

का. आ. 84(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1), सामान्य उपवाक्य अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 110 (अ) दिनांक 6 मार्च, 1995 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) की अधिसूचना सं. 9/95-सीमाशुल्क, दिनांक 6 मार्च, 1995 को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 570/04/2003-एलसी]

टेमसुनारो जमीर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**New Delhi, the 11th January, 2016**No. 03/2016-Customs**

S.O. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 9/95-Customs, dated the 6th of March, 1995 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.110 (E), dated the 6th of March, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 570/ 04/2003-LC] (Pt.)]

TEMSUNARO JAMIR, Under Secy.